

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठारिीन अधिकाऱी:— श्री ढरशुऱाग धानका आऱ.ए.एस.

अढील संखुया:— 82/2022 (GCMS No. 2022/87) (धारा 75 राजरथान भू राजरव अधिनियम 1956)

- आम जनता ग्राम ससेडी जरिये
1. राधेशुयाम ढुत्र नथुआ आयु 68 साल
 2. कुढेर ढुत्र सिरोमन आयु 62 साल
 3. उमाचरण ढुत्र जगदीश आयु 55 साल
 4. रामेशुवर ढुत्र गोविन्द आयु 50 साल
 5. शीशराम ढुत्र गयावकुश आयु 42 साल जाति गुर्जर
- जातियान माली
- सभी निवासी ग्राम ससेडी तहसील व जिला करौली।

.....अढीलांटस

बनाम

1. ढ्रीतम देवी ढत्नी स्व. कल्याण
 2. भगवानसिंह
 3. बृजढोहन
 4. चन्द्रढुरकाश
- ढुत्रगण स्व. कल्याण
- सभी जाति तेली निवासी ससेडी तहसील व जिला करौली (राज.)
6. आवंटन अधिकाऱी उढखण्ड अधिकाऱी करौली तहसील व जिला करौली।

.....रेसुढेन्टस



अढील अन्तर्गत धारा 75 एल.आऱ. एक्ट विरुद्ध आदेश दिनांक 06.06.2022 नुयायालय जिला कलकुटर करौली ढुरकरण संखुया 11/20 उनवानी आम जनता ग्राम ससेडी बनाम ढ्रीतम वगै.।

उढस्थिति:—

1. अढीलांटस की ओर से श्री नवल किशोर शर्मा, वकील
2. रेसुढेन्ट सं. 1 लगा. 5 की ओर से श्री ढुकेश कुढार शर्मा वकील

नि र्ण य

दिनांक : 24.01.2024

1. यह अढील भू राजरव अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत आदेश जिला कलकुटर करौली के आदेश दिनांक 06.06.2024 के विरुद्ध ढुरस्तुत की गई है। संक्षेढ ढें नुथुय इस ढुरकार से हैं कि रेसुढेन्ट संखुया 1 लगा. 5 के हक ढें रेसुढेन्ट

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर



संख्या 6 द्वारा चारागाह भूमि का अवैध आवंटन किया गया है। आवंटन के निरस्तीकरण हेतु अपीलांटस आम जनता ससेडी ने धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 के तहत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान रेस्पोजेन्ट संख्या 1 लगा. 5 ने एक आवेदन आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अधीन प्रस्तुत किया कि उक्त आवंटन निरस्त कराने हेतु पूर्व में घनश्याम पुत्र जौहरी नामक व्यक्ति द्वारा पेश किया था जो नोट प्रेस में खारिज करा लिया। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोजेन्टस संख्या 1 लगा. 5 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर दिनांक 06.06.2022 को अपीलांटस का आवेदन धारा 14(4) आवंटन नियम खारिज कर दिया गया। जिसके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोजेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोजेन्टस की ओर से पैरवी हेतु श्री मुकेश कुमार शर्मा एडवोकेट हाजिर अदालत आये।
3. उभयपक्ष के अभिभाषकगण को अपील पर सुना गया।
4. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने दौराने बहस अपने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि विवादित भूमि सार्वजनिक उपयोग की मवेशी चराई की होने के कारण अपीलांटस द्वारा जिला कलक्टर करौली के यहाँ प्रार्थना पत्र 14(4) पेश किया। कभी काश्त नहीं हुई और न ही काबिल काश्त है। सुनवाई के दौरान रेस्पोजेन्ट संख्या 1 लगा. 5 ने एक आवेदन आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अधीन प्रस्तुत किया कि उक्त आवंटन निरस्त कराने हेतु पूर्व में घनश्याम पुत्र जौहरी नामक व्यक्ति द्वारा पेश किया था जो नोट प्रेस में खारिज करा लिया। इसलिए कोई व्यक्ति दुबारा आवेदन नहीं कर सकता है। हमारे आदेश 7 नियम 11 का जबाब अधीनस्थ न्यायालय ने न पढा और न देखा। रेस्पोजेन्टस ने यह प्रार्थना पत्र खुद ही लगवाया और वापस करवा लिया ताकि आम जनता में से कोई दुबारा आवेदन न कर सके। घनश्याम के आवेदन को आम जनता को पता ही नहीं था। घनश्याम के प्रार्थना पत्र से यह साबित होता है कि ये लोग गलत थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि पूर्व आवेदन पेश होने व उसके नोट प्रेस में खारिज होने मात्र से आम जनता के विधिक अधिकार समाप्त नहीं होते हैं। विवादित भूमि आम जनता की मवेशी चराव की चारागाह भूमि है जो आवंटन योग्य नहीं है और चारागाह भूमि का अवैध आवंटन अधीनस्थ न्यायालय की जानकारी में आने पर ऐसे आवंटन को स्वतः ही निरस्त करना चाहिए। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर करौली का आदेश दिनांक 06.06.2022 अपास्त किया जाकर पुनः मेरिट पर सुनवाई हेतु रिमाण्ड

50
अतिरिक्त संभागीय आधुक्त
भरतपुर
किया जावे।

5. विद्वान वकील रेस्पोजेन्टस ने दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्टस द्वारा दी गई दलीलों का विरोध करते हुये तर्क दिया कि अपीलान्टस का प्रार्थना पत्र 14(4) जिला कलक्टर करौली के यहाँ खारिज हुआ है और आवंटन बहाल रखा गया है। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी घनश्याम की ओर से पेश किया गया था जिसमें अपीलान्टस पक्षकार नहीं थे। अपीलान्टस द्वारा देरी का कारण नहीं बताया गया। अपीलान्टस अपने को आम जनता बता रहे हैं जबकि अपीलान्ट संख्या 1 लगायत 4 एक ही परिवार के हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश बिल्कुल सही है। अतः अपील अपीलान्टस खारिज फरमायी जावे।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोजेन्ट संख्या 1 लगा. 5 के पति/पिता कल्याण पुत्र बुधू तेली को दिनांक 20.10.1975 को आराजी खसरा नम्बर 231/2 रकबा 5 बीघा वांके ग्राम ससेडी तहसील करौली में आवंटित हुई थी और इसके आधार पर आवंटी राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार के रूप में दर्ज हुआ था रेस्पोजेन्टस के बुजुर्ग कल्याण के हक में हुए आवंटन आदेश दिनांक 20.10.1975 को निरस्त कराने का प्रार्थना पत्र धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 दिनांक 26.10.2020 को खारिज हुआ तथा उसके बाद पुनः प्रार्थना पत्र निगरानी तहत धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 पेश किया गया जो भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया गया था। यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि किसी एक ही प्रकरण का निस्तारण एक ही न्यायालय में एक से अधिक बार नहीं किया जा सकता है। हम विद्वान अभिभाषक अपीलान्टस की दलीलों से कतई सहमत नहीं हैं। रेस्पोजेन्टस द्वारा दी गई दलीलों से हम पूर्णतया सहमत हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत होने से हम उसमें हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं समझते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के मध्येनजर अपील अपीलान्टस खारिज किये जाने योग्य है।

7. फलस्वरूप अपीलान्टस की अपील खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.06.2022 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 24.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(परशुराम धानका)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर